

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/109

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी:-पंकज शर्मा  
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तिम वाद डिक्री

मुकदमा नम्बर :- 58/2021 (विश्वनाथ उर्फ विशम्भरदयाल बनाम राजेन्द्र वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, पंकज शर्मा, उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुकम दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 17.10.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार बिसाऊ को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा का मुताबिक कब्जा काश्त रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार बिसाऊ के आदेश क्रमांक भू0अ0/2024/195 दिनांक 17.05.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.11.2024 निर्णयवाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर ग्राम नांद की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 344 रकबा 1.40 है0 भूमिका निम्न प्रकार खाता विभाजन का आदेश दिया जाता है विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा :-

क्र. सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	भूमि किस्म	लगा न
1	राजेन्द्र पुत्र श्रीराम जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार	344/1	0.45	बा.1	-
2	विश्वनाथ पुत्र श्रीराम जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार	344/3	0.45	बा.1	-
3	सुरेश पुत्र श्रीराम जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार	344/2	0.45	बा.1	-
4	राजेन्द्र, विश्वनाथ, सुरेश पिता श्रीराम जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार	344/4	0.05	गै0मु0 रास्ता	-

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.11.2024 को जारी की गई।

47  
(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी,  
मलसीसर